दुष्कर्म होता दिखा तो अब पुलिस मार देगी गोली

✷ आईजी भोपाल रेंज योगेश देशमुख ने कहा

भोपाल 12 जून (ए) आईजी भोपाल रेंज योगेश देशमुख का कहना है कि बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध अक्सर छिपकर होते हैं। लेकिन अब आप यह मानकर चलिए कि यदि इस तरह का अपराध पुलिस को सामने होता दिखा तो गोली चलेगी। इस तरह की कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर अंजाम दिया जाएगा। संवाददाताओं से चर्चा में आईजी ने आगे कहा कि आम जनता के साथ पुलिस का अभद्र व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर डीआईजी इरशाद वली एसपी हैडक्वार्टर मिथिलेश शुक्ला एसपी नार्थ शैलेंद्रसिंह चौहान एसपी साउथ संपत उपाध्याय भी मौजूद थे। बच्चियों महिलाओं से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरुकता मुहिम चलाएगी।

कमलानगर इलाके में दुष्कर्म के बाद 10 साल की बच्ची की हत्या के मामले में आईजी ने स्वीकार किया कि पीड़ित परिजनों के प्रति कुछ पुलिसकर्मियों का व्यवहार ठीक नहीं था। उन्हें सस्पेंड किया गया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोषी पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बच्चियों से दुष्कर्म जघन्य अपराध है। यदि पुलिस को इस तरह का अपराध होता हुआ दिखा, तो पुलिस आरोपी पर गोली चलाने में देर नहीं करेगी। इस तरह की कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर अंजाम दिया जाएगा। आईजी ने बताया कि शहर की इस तरह की कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। जहां महिलाओं से संबंधित अपराध अधिक होते हैं। ऐसी बस्तियों में संबंधित थाने के एक पुलिसकर्मी को बस्ती का इंचार्ज बनाया जाएगा। आईजी ने कहा कि जनता का भरोसा जीतना पुलिस की प्राथमिकता होगी। ऐसे पुलिसकर्मचारी जिनमें संवेदनशीलता की कमी है उन्हें ट्रैनिंग दी जाएगी। अपराध रोकने के लिए जनसहयोग की अपील करते हुए आईजी देशमुख ने कहा कि पुलिस हमेशा जनता के प्रति निष्ठा में कमी नहीं आने देगी। पुलिस सामाजिक संगठनों के सहयोग से महिलाओंएबच्चियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करेगी। स्कूलएकॉलेजोंएकोचिंग सेंटर पर जाकर भी सुरक्षा के टिप्स दिए जाएंगे।

शासन की सेवा में आयु सीमा में वृद्धि

✷ मंत्रि परिषद का निर्णय

भोपाल 12 जून (ए) मुख्यमंत्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रि.परिषद की मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसमें मण्प्रण् लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों राजपत्रित अराजपत्रित कार्यपालिक के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 और अधिकतम 35 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों नगर सैनिक निरूशक्तजन महिलाओं अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए आयु सीमा 21 से 40 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा 18 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है। अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गए शासकीय निगम मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों नगर सैनिक निरूशक्तजन महिलाओं अनारक्षित आरक्षित आदि के लिए आयु सीमा 18 से 37 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।

. छिंदवाड़ा में नई केन्द्रीय जेल की स्थापना मंजूरी

मंत्रि.परिषद ने छिंदवाड़ा में आजीवन कारावासी बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए 1000 बंदी क्षमता की केद्रीय जेल एवं विचाराधीन बंदियों के लिए 700 बंदी क्षमता की जिला जेल नवीन जेल निर्मित करने और नवीन जेल काम्प्लेक्स बनने के बाद पुरानी जेल की भूमि राजस्व विभाग को सौंपने का निर्णय लिया।

निवाड़ी में नये पद सृजन की मंजूरी

मंत्रि.परिषद ने उप कोषालय निवाड़ी का जिला कोषालय के रूप में उन्नयन करने के फ्लस्वरूप जिला कोषालय के लिए प्रस्तावित पदीय संरचना अनुसार 19 पदों के समायोजन और भृत्य के 2 नये पद सृजित करने तथा इसकी पूर्ति आउटसोर्स से करने की अनुमति प्रदान की।

मंत्रि.परिषद ने जिला निवाड़ी के लिए जिला लोक सेवा प्रबंधक का एक पद और कार्यालय सहायक का एक पद संविदा आधार पर सृजित करने की मंजूरी दी।

16 जून के बाद तय होगी मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख

भोपाल 12 जून (ए) कमलनाथ अपने मंत्रिमंडल में अगले सप्ताह पहला फेरबदल कर सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के लिए 16 जून के बाद तारीख की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। इसके लिए संगठन स्तर पर भी प्रयास तेज हो गए हैं। मंत्रिमंडल में आधा दर्जन नए चेहरों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसके लिए चार मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने .अपने एक.एक समर्थक का नाम कैबिनेट से वापस ले सकते हैं।

इन्हें बनाया जा सकता है मंत्री

मंत्रिमंडल में जातिगत के साथ साथ राजनीतिक समीकरण भी साधने के प्रयास रहेंगे क्योंकि शुरू से ही सरकार की स्थिरता को लेकर भाजपा सवाल खड़े करते आ रही है। सूत्रों के अनुसार केपी सिंह कक्काजूए बिसाहूलाल साहू सिंह विक्रम सिंह नातीराजाए फुंदेलाल मार्कोए झूमा सोलंकीए निर्दलीय विधाय सुरेंद्र सिंह शेराए बसपा के संजीव सिंह सपा के राजेश शुक्ला को मंत्री बनाया जा सकता है।

दो निर्दलीय विधायकों को मिल सकता है मंत्री का दर्जा

कमलनाथ कैबिनेट में फिलहाल निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ही शामिल हैं। दो निर्दलीय विधायकों को निगम मंडल में जगह देने के साथ ही उन्हें मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के आसपास ही सरकार निगम मंडलों में भी विधायकों की नियुक्ति करेगी। उन मंत्रियों और उनके परिजनों को भी उपकृत किया जाएगा जो कैबिनट में मंत्री पद छोड़ेंगे।

विद्यार्थियों ने पॉलीथीन का उपयोग न करने का दिया संदेश

भोपाल12 जून (ए) नगर निगम द्वारा पर्यावरण के लिये घातक पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु निरंतर जागरूकता के प्रयास किये जा रहे निगम के प्रयासो में सहयोग के लिये विभिन्न समाज सेवी संगठनोंए रहवासी संघों एवं विद्यार्थीयों सहित समाज के अन्य लोगो द्वारा भी अपने स्तर पर नागरिकों को पॉलीथीन का उपयोग न करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। मंगलवार को उपायुक्त विनोद शुक्ला द्वारा चार ईमली स्थित निगम की नर्सरी से डीपीएस स्कूल के बच्चों को नारियल के खोल में तैयार किये गए पौधे उपलब्ध कराये उक्त पौधों को लेकर डीपीएस स्कूल के बच्चे अनुष्का सिंह के नेतृत्व में न्यूमार्केट पहुचें और वहां खरीदारी करने आने वाले नागरिकों को बाजार आते समय कपड़े के कैरी बैग अनिवार्य रूप से लाने तथा पॉलीथीन के कैरी बैग को न करने हेतु जागरूक किया साथ ही पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिगत बर्षा ऋतु में समुचित स्थानों पर पौधों का रोपण करने कर आग्रह किया। इस दौरान उन्होनें नगर निगम की नर्सरी में पॉलीथीन के स्थान पर नारियल के खोलो में तैयार किये गए पौधा का वितरण भी किया। स्कूली बच्चों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु नागरिकों को जागरूक करने हेतु किये जा रहे प्रयासों की न्यूमार्केट में खरीददारी करने पहुंचे नागरिकों और वहां के दुकानदारों ने सराहना की।

दस साल में बड़ा तालाब पहुंचा सबसे कम लेवल पर

✷ तकिया टॉपू के चारों ओर सूख चुका है पानी, लोग पैदल घूम फिर रहे

भोपाल 12 जून (ए) पिछले 10 सालों में पहला मौका है जब जून की शुरुआत में ही राजधानी की लाइफ्लाइन कहे जाने वाला बडा तालाब का पानी सबसे कम लेवल पर पहुंच गया है। तालाब के बीचोबीच स्थित तकिया टॉपू के चारों ओर का पानी सूख चुका है। यहां लोग पैदल घूमफिर रहे हैं। तालाब का वर्तमान लेवल 1650ण्85 फीट तक पहुंच गया है। जबकि पिछले साल यह लेवल 23 जून को पहुंचा था। यानी 12 दिन पहले ही तालाब की यह हालात हो गई है। वर्तमान में 36 वर्ग किमी पानी का दायरा घटकर 7 वर्ग किमी के करीब में सिमट गया है। इससे तालाब की ईकोलॉजी सिस्टम पर खतरा पैदा हो गया है। पानी की कमी से इसमें रहने वाले जलीय जीव और जलीय वनस्पतियों को ऑक्सीजन की कमी से इनके समाप्त होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही इससे होने वाली पानी सप्लाई भी बाधित होगी। क्योंकि तलहटी में जमा खरपतवार से पंप बंद होने लगे हैं। इससे गंदा पानी सप्लाई होगा। अक्टूबर में तालाब छह फीट से अधिक खाली रह गया था।

तालाब से रोजाना 30 एमजीडी पानी लिया जाता हैए निगम प्रशासन को चाहिए था कि तालाब से 15 एमजीडी की कटौती कर नर्मदा और कोलार से आपूर्ति करते। लेकिन सिर्फ 10 एमजीडी की कटौती ही कई वह भी अप्रैल महीने में। इससे लेवल तेजी से घटता गया।

शहर में अल्टरनेट डे सप्लाई की प्लानिंग थी लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण सहमति नहीं बन पाई। तालाब में कोलांस नदी सहित 14 नालों से पानी आता है लेकिन इसके मुहाने में गाद जमा हैए जिसकी सफाई नहीं की गई। जिससे पानी का लेवल नहीं बढ़ पाया।तालाब के केचमेंट में अतिक्रमण होने से बारिश का पानी तालाब तक पहुंचने में बाधित हुआ।

नगर निगम के सूत्रों की माने तो वर्ष 2008 में कम बारिश के कारण तालाब 1655 फीट ही भर पाया था। इसके चलते वर्ष 2009 में जून आखिर तक पानी का लेवल 1646.45 फीट तक पहुंच गया था। यहां बता दें कि इस साल निगम द्वारा अक्टूबर से ही अल्टरनेट डे सप्लाई कर भीषण जलसंकट से निपटा गया था। तालाब जितना अधिक खाली होगा उसे भरने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होगी। सामान्य या सामान्य से कम बारिश से तालाब इस साल भी खाली रह जाएगा। इसलिए जरूरी था कि कटौती कर तालाब से पानी कम लिया जाए।

जेपी अस्पताल में जुलाई से शुरु होगा मदर मिल्क बैंक

✷ जरुरतरतमंद बच्चों को मिलेगा दूध, तीन महीने तक रखा जा सकेगा सुरक्षित

भोपाल 12 जून (ए) राजधानी के जिला अस्पताल जेपी जयप्रकाश में जुलाई महीने से मदर मिल्क बैंक की शुरुआत होने जा रही है। इस बैंक के प्रारंभ होने से ऐसे नवजात शिशु जिनकी माताएं स्तनपान नहीं करा पाती है उनको इस बैंक से दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा बच्चा कम वजन या कमजोर होने के चलते दूध पीने की स्थिति में नहीं है ऐसे बच्चों के लिए यहां दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इस सुविधा से लावारिस बच्चों को भी मां का दूध मिल सकेगा। प्रदेश में दो क्रास मदर मिल्क बैंक बनाए जा रहे हैं। इसमें एक इंदौर के मेडिकल कॉलेज व दूसरा भोपाल के जेपी अस्पताल में बनाया जा रहा है। क्रास मदर मिल्क बैंक में एक मां का दूध दूसरी मां के बच्चे को दिया जाता है।

जेपी अस्पताल के पुराने मिल्क बैंक का विस्तार कर यह सुविधा शुरू की जा रही है। इसके लिए लेमिनर एयरफ्लो आ चुका है। 15 से 18 जून के बीच पाश्चुराइजर मशीन भी आ जाएगी। मिल्क रखने व माताओं के बैठने की व्यवस्था मिल्क बैंक में की जा रही है। मिल्क बैंक प्रभारी व शिशु रोग विशेषज्ञ डॉण् शोभा खोत ने बताया कि कई माताओं को दूध नहीं निकलता या अन्य कारणों से वह दूध पिलाने की स्थिति में नहीं होती उनके बच्चों को मिल्क बैंक से दूध दिया जा सकेगा। पहले तो जेपी अस्पताल के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट ;एसएनसीयूद्ध में भर्ती बच्चों को मिल्क बैंक से दूध दिया जाएगा।

ज्यादा दूध होने पर दूसरे अस्पतालों में भर्ती बच्चों को भी यहां से दूध दिया जाएगा। इसके अलावा मिल्क बैंक में दूध दान के लिए अस्पताल में भर्ती माताओं की काउंसलिंग भी की जाएगी। इस बात का भी प्रचार प्रसार किया जाएगा कि कोई भी महिला यहां आकर मिल्क दान कर सके। उन्होंने बताया कि पहले इस बात की स्क्रीनिंग की जाएगी कि दूध दान करने वाली महिलाओं को एचआईवीए हेपेटाइटिस बीए सी या अन्य कोई बीमारी तो नहीं है। दूध को फ्रीजर में रखने के पहले एक बार कल्चर टेस्ट कराया जाएगा कि उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है। किसी बच्चे को दूध देने के पहले भी बैक्टीरिया की मौजूदगी पता करने के लिए कल्चर टेस्ट किया जाएगा। डॉण् खोत ने बताया कि जेपी अस्पताल के एसएनसीयू में भर्ती बच्चों में करीब 30 फीसदी को किसी न किसी वजह से मां का दूध नहीं मिल पाता। उन्हें मिल्क बैंक दूध दिया जा सकेगा।

निगम ने दो डेयरी संचालकों पर किया स्पाट फाईन

भोपाल 12 जून (ए) नगर निगम भोपाल के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा गंदगी फैंलाने वालों के विरूद्व निरंतर कार्यवाही की जा रही है। निगम अमले ने जोन क्र 10 के अंतर्गत वार्ड क्रण् 71 में डेरी संचालक द्वारा गंदगी फैंलाने पर 03 हजार रूपये स्पाट फाईन किया तथा वार्ड क्र 37 एवं 38 में भी गंदगी फैंलाने वालों के विरूद्व स्पाट फाईन की कार्यवाही करते हुए 12 प्रकरणों में कुल 04 हजार 950 रूपये की राशि स्पाट फाईन के रूप में वसूल की। उपायुक्त हरीश गुप्ता के निर्देश पर जोन क्रण् 10 के ज़ोनल अधिकारीए प्रभारी सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और जोन के सहायक यंत्री द्वारा डेरी संचालक के भारी विरोध के बाद पुलिस बल की मौजूदगी में यह स्पाट फाईन की कार्यवाही की गई। उपायुक्त हरीश गुप्ता ने वार्ड क्रण् 71 में सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान उस क्षेत्र के खाली प्लाटो की दो दिवस में सफाई कराने तथा गंदगी फैलाने वालों के विरूद्व स्पाट फाईन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने उपायुक्त विनोद शुक्ला के निर्देश पर वार्ड क्रण् 59 स्थित विकास नगर में डेरी संचालक पर गंदगी फैलाने पर 03 हजार रूपये स्पाट फाईन किया एवं गोवर्धन परियोजना की टीम ने दस भैंसों को पकड़ने की कार्यवाही की। इस मौके पर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी रवि बाथम सहित स्वास्थ्य विभाग का अमला मौजूद था।

छिंदवाड़ा में बनेगी नई जेल

भोपाल 12 जून (ए) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में छिंदवाड़ा में नई जेल बनाए जाने को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक में कई अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई गई। मंत्रालय में शाम 6रू00 बजे आयोजित बैठक का विवरण देते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि छिंदवाड़ा में 1000 कैदियों को रखे जाने के लिए नई जेल का निर्माण किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए 228 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी गई।

मंत्री शर्मा ने बताया कि एमपीपीएससी के माध्यम से भरे जाने वाले पदों के लिए अब न्यूनतम 21 और अधिकतम 35 वर्ष होगी। प्रदेश और बाहर के राज्यों के लिए आयु की समानता का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के बाहरी युवा 35 की उम्र तक मप्र में नौकरी पा सकेंगे। वर्तमान में यह सीमा 28 साल है। वहींए मप्र के अभ्यर्थियों के लिए लोकसेवा परीक्षा में आयु सीमा 42 साल तक है। सरकार ने पहले बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 28 साल निर्धारित कर दी थीए जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

न्यायालय नजूल अधिकारी, कांकेर, उ.ब. कांकेर छ.ग.

रा.प्र.क्र./01/अ-20(1)/2018-19

(उद्घोषणा)

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद कांकेर द्वारा डॉ. बी. आर. अंबेडकर सर्वसमाज मांगलिक भवन योजना अंतर्गत सर्व समाज मंगल भवन निर्माण आडीटोरियम तथा व्यावसायिक काम्पलेक्स निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर घड़ी चौक में स्थित कृषि महाविद्यालय का पुराना भवन शासकीय नजूल भूमि/भवन माहुरबंदपारा, शीट नंबर 10 ए, प्लाट नंबर 13, क्षेत्रफल 1476 वर्गमीटर है, को नगरपालिका परिषद कांकेर को हस्तांतरित/आबंटित करने मांग किया गया है। प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, निकाय आदि को कोई उजर दावा आपत्ति हो तो न्यायालयीन अवधि में इस उद्घोषणा के नगर/मोहल्ला में चस्पा के 15 दिवस के भीतर स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अतः आज दिनाँक 13/05/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया है।

सील

नजूल अधिकारी
उत्तर बस्तर कांकेर

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
कार्यालय वन मंडलाधिकारी,
अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र, सा.वा. वनमण्डल, जगदलपुर

// संक्षिप्त निविदा सूचना आमंत्रण //

सामाजिक वानिकी वनमण्डल जगदलपुर अंतर्गत परिक्षेत्रों में वानिकी कार्यो हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री प्रदाय हेतु रासायनिक खाद, जैविक खाद एवं कीटनाशक दवाई, उपजाऊ मिट्टी, मुरूम, रेत, जुताई कार्य हेतु ट्रैक्टर किराये पर, निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री प्रदाय करने हेतु मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत शर्तें कार्यालयीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र हेतु राशि रू. 1000/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल, जगदलपुर के नाम देय हो जमा कर प्राप्त कर सकते है। निविदा रजिस्टर पोस्ट (ए.डी.), स्पीड पोस्ट अथवा पी. एण्ड टी. विभाग में अधिकृत कोरियर या वनमण्डल कार्यालय में सीधे जमा किया जा सकता है।

प्रथम निविदा में सामग्रियों का दर प्राप्त नहीं होने पर द्वितीय चक्र की निविदा दिनांक 09.07.2019 एवं तृतीय चक्र की निविदा दिनांक 12.07.2019 को आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है। :-

क्र.	विवरण	प्रथम निविदा की तिथि एवं समय सारणी	द्वितीय निविदा की तिथि एवं समय सारणी	तृतीय निविदा की तिथि एवं समय सारणी
01	निविदा फार्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	दिनांक 03.07.2019 सांयकाल 5:00 बजे तक	दिनांक 08.07.2019 सांयकाल 5:00 बजे तक	दिनांक 11.07.2019 सांयकाल 5:00 बजे तक
02	निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 04.07.2019 दोपहर 3:00 बजे तक	दिनांक 09.07.2019 दोपहर 3:00 बजे तक	दिनांक 12.07.2019 दोपहर 3:00 बजे तक
03	निविदा खोले जाने की तिथि	दिनांक 04.07.2019 सांयकाल 4:00 बजे	दिनांक 09.07.2019 सांयकाल 4:00 बजे	दिनांक 12.07.2019 सांयकाल 4:00 बजे
04	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल जगदलपुर	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल जगदलपुर	कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामाजिक वानिकी वनमण्डल जगदलपुर

वन संरक्षक
सह प्रभारी वनमण्डलाधिकारी
अनुसंधान एवं विस्तार केन्द्र
सामाजिक वानिकी वनमण्डल
जगदलपुर

जी - 70619/2

कार्यालय, प्राचार्य, शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर जिला-नारायणपुर (छ.ग.)

दूरभाष नं. 07781-252655,252755, Email Add-naraynanpurcollege@gmail.com

क्रमांक/167/स्था./2019-20 नारायणपुर, दिनांक 03/06/2019

// निविदा आमंत्रण //

सत्र 2019-20 में महाविद्यालय हेतु रूसा मद से निम्नांकित सामग्री का क्रय किया जाना है। इस संबंध में दिनांक 08.07.2019 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नारायणपुर (छ.ग.) के नाम से सीलबंद लिफाफा में केवल स्पीड/रजिस्टर्ड डाक द्वारा निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित राशि	अनुमानित धरोहर राशि
1	प्रायोगिक उपकरण	1903342/-	60,000/-
2	आई.सी.टी.	1403586/-	42,000/-
3	इलेक्ट्रानिक सामग्री	265072/-	8,000/-
4	स्मार्ट क्लास रूम	589820/-	18,000/-
5	फर्नीचर	1608094/-	50,000/-
6	पुस्तके/आटोमेशन साफ्टवेयर	230000/-	7000/-

निविदा की शर्ते निम्नानुसार हैं :-
(1) निविदा प्रपत्र महाविद्यालय के कार्यालय से 100 रू. नगद देकर प्राप्त करें अथवा महाविद्यालय के बेवसाईड से डाऊनलोड कर 100 रू. का डी.डी. निविदा के साथ प्रेषित करें।
(2) निविदा मुहर बंद लिफाफा में भेजे।
(3) निविदा लिफाफे के ऊपर निविदा की गई सामग्री का नाम लिखा होना अनिवार्य है।
(4) प्रत्येक निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का 03 प्रतिशत सुरक्षा निधि (धरोहर राशि) प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय नारायणपुर (छ.ग.) के नाम से बैंक ड्राफ्ट के रूप दिया जाए अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
(5) निविदा सामग्री की सूची एवं अन्य जानकारी इस महाविद्यालय के वेबसाईट www.gdenarayanpur.com में अवलोकन की जा सकती है।
(6) वे ही फर्म निविदा भेजे जो मानक सामग्री की पूर्ति कर सकते है।
(7) F.O.R. नारायणपुर होगा।
(8) वाणिज्यकर का GST पंजीयन जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(9) क्रय की गई सामग्री की सुरक्षित डिलवरी की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
(10) मानक के अनुसार सामग्री न होने से पर निविदा अस्वीकृत की जावेगी।
(11) निविदा निरस्त करने का सर्वाधिकार, प्राचार्य के पास रहेगा।
(12) निविदा खोलने की तिथि - 08.07.2019
स्थान - प्राचार्य कक्ष
समय - दोपहर 04.00 बजे

(डॉ. श्रीमती एस.एम. तिमोथी)
प्राचार्य
शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर (छ.ग.)

जी - 70636/2